तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.7.24	पत्रावली पेश हुई। आज निर्वाचन संबंधित कार्य/अतिक्रमण/अभियान के कारण पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.08.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
1/8/24	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. अन्य राजकार्य/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि. 5/8/24 को पेश हो।
5/8/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार रिपोर्ट के रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी नं. 2 की तामील रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी नं. 2 की तामील हो चुकी है। अतः अप्रार्थी नं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र दिनांक 21/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 20/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
20/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस प्रारम्भिक पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
27/1/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन

P.S.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुन मनन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR एक्ट पेशकार तहसीलदार की रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेज के अवलोकन के आधार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रमाणित पत्रावली को पत्रावली फैसल शुमार होकर, नतीजा से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमर हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद सं0----176/2023

प्रविष्टि दिनांक ----30.6.2023

उनवान

1. श्योजी पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक
3. रूकमा पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक
4. कैलाशी पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक

--प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई, जिला टोंक
2. पोखर पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी ग्राम पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित--श्री कौशल किशोर जाट--अभिभाषक प्रार्थीगण

पैरोकार सरकार--वकील प्रतिवादी सं0 1

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक--27/1/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 114 मे खसरा नंबर 945 रकबा 0.0885 है0 गै.मु. चाह तथा खाता सं0 222 मे खसरा नंबर 853 रकबा 0.1265 है0 गै0मु0 चाह , खाता सं0 117 मे खसरा नंबर 726 रकबा 0.0632 है0 गै0मु0 चाह, खाता सं0 116 मे खसरा नंबर 727 रकबा 0.0379 है0 गै0मु0 टीबा तथा खाता संख्या 38 मे खसरा नंबर 884 रकबा 4.0721 है0 भूमि वाके ग्राम पलेई पटवार हल्का पलेई तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमि मे अन्य सहखातदेार भी है लेकिन उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इस कारण उन्हे प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है। खसरा बन्दोबस्त ग्राम पलेई संवत 2008 मे अंकितानुसार खसरा नंबर 945, 853, 726, 884 की भूमि कॉलम संख्या 9 मे प्रार्थीगण के पूर्वज छोटू पुत्र हरला के नाम दर्ज इन्द्राज थी लेकिन कॉलम संख्या 10 मे छोटू पुत्र हरला के स्थान पर रामरतन पुत्र छोटू के नाम सहवन से गलत इन्द्राज हो गई जबकि छोटू पुत्र हरला के दो पुत्र रामरतन व श्योनारायण हुए थे प्रार्थीगण श्योनारायण के वारिस है। श्योनारायण के एक पुत्र रामदेव हुआ था जो प्रार्थीगण के पिता है तथा रामरतन एक मात्र पुत्र पोखर है। प्रार्थीगण के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है।

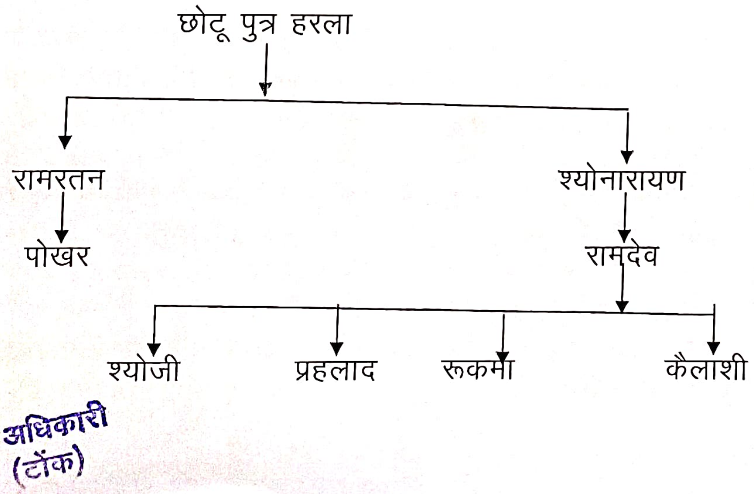

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

अतः उक्त भूमि मे अंकन को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थनापत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज मे जमाबंदी संवत 2072–75, ग्राम खसरा बन्दोबस्त जमाबंदी भूप्रबन्ध सैटलमेन्ट , खेवट खतोनी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

पटवारी हल्का चतुर्भुजपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चतुर्भुजपुरा की लटठा शीट मे आराजी ख.न. 390 के बटा नंबर की जगह से शीट फटी हुई होने के कारण नकल नक्शा ट्रेस नही बनाई जा सकती है।

इसके पश्चात वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मे प्रतिवादी सं0 2 का सहखातेदारी रिकार्ड दर्ज है। खसरा बन्दोबस्त संवत 2008 के अनुसार खसरा नंबर 726, 727, 853, 884, व 945 के कालम संख्या 9 (गत भू माप) के कालम मे छोटू पुत्र हरला जाति जाट का नाम सहखातेदारी मे रिकार्ड मे अंकन है व कॉलम संख्या 10 (वर्तमान भू माप) मे रामरतन पुत्र छोटू सहखातेदारी मे रिकार्ड मे अंकन है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2011–2030 के अनुसार खाता सं0 106 मे खसरा नंबर 726 , 727 , खाता सं0 245 मे खसरा नंबर 884 , खाता सं0 235 मे खसरा नंबर 945, खाता सं0 62 मे खसरा नंब 853 मे रिकार्ड मे अंकन है। प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा शजरा वंशावली भी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार

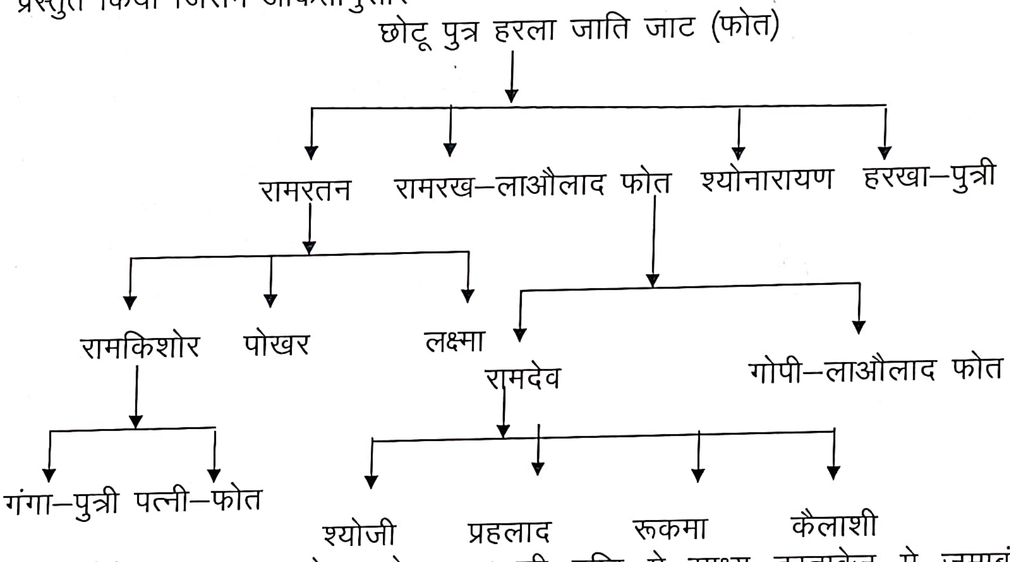

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे साक्ष्य दस्तावेज मे जमाबंदी संवत 2072–2075, नामान्तरकरण, जमाबंदी खेवट खतौनी, भूप्रबन्ध संवत 2011–2030, खसरा बन्दोबस्त प्रस्तुत किये गये।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि के संबंध मे पैरोकार सरकार द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण हेतु पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यो के परीक्षण के दौरान पाया गय कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 एक ही परिवार के सदस्य है साथ ही खसरा बन्दोबस्त जमाबंदी भूप्रबन्ध सैटलमेन्ट , खेवट खतोनी से साबित है कि उक्त विवादित भूमि पैतृक भूमि है। पैरोकार सरकार व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शजरे मे वारिसानो के लेकर काफी समानता है। दोनो ही शजरो के आधार पर छोटू के वारिसानो मे रामरतन, रामरख, श्योनारायण व एक पुत्री थी। चूंकि रामरख लाऔलाद फोत होने के कारण उसका हिस्सा शेष वारिसानो मे निहित हो गया। छोटू की विरासत का नामान्तरकरण भू प्रबन्ध के पूर्व का है जब संभवतः पुत्री के नाम नामान्तरकरण खोला जाना अनिवार्य नही था।

उपखण्ड अधिकारी

इस प्रकार छोटू के दो जायन्दा पुत्र रामरतन व श्योनारायण थे जिनके नाम उसकी विरासत मे भूमि का अंकन किया जाना चाहिए था, लेकिन इस नही किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। पैतृक भूमि का बंटवारा विधिक वारिसान मे किया जाना आवश्यक व नियमानुसार है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट मे भी अंकित किया गया है कि खसरा वन्दोवस्त संवत 2008 के अनुसार खसरा नंबर 726, 727, 853, 884, व 945 के कालम संख्या 9 (गत माप) के कालम मे छोटू पुत्र हरला जाति जाट अंकन है व कॉलम संख्या 10 (वर्तमान भू माप) मे रामरतन पुत्र छोटू सहखातेदारी मे अंकन है जबकि नियमानुसार रामरतन व श्योनारायण पुत्र छोटू अंकित होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त पूर्व मे उक्त भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2011–2030 के अनुसार खाता सं0 106 मे खसरा नंबर 726 , 727 , खाता सं0 245 मे खसरा नंबर 884 , खाता सं0 235 मे खसरा नंबर 945 , खाता सं0 62 मे खसरा नंब 853 मे रिकार्ड मे अंकन है जिसमे रामरतन वल्द छोटू अंकित है। इस प्रकार यह साबित है कि प्रार्थीगण के पूर्व श्योनारायण का नाम अंकन होने से छूट गया। चूंकि प्रार्थीगण भी छोटू पुत्र हरला के विधिक वारिसान है जिनका उनकी पैतृक संमत्ति मे हक निहित है। अतः न्याय हित मे साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पैरोकार सरकार की रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेज के आलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को निर्देश दिये जाते हैं कि भूमि खाता संख्या 114 मे खसरा नंबर 945 रकबा 0.0885 है0 गै.मु. चाह तथा खाता सं0 222 मे खसरा नंबर 853 रकबा 0.1265 है0 गै0मु0 चाह, खाता सं0 117 मे खसरा नंबर 726 रकबा 0.0632 है0 गै0मु0 चाह, खाता सं0 116 मे खसरा नंबर 727 रकबा 0.0379 है0 गै0मु0 टीबा तथा खाता संख्या 38 मे खसरा नंबर 884 रकबा 4.0721 है0 भूमि वाके ग्राम पलेई पटवार हल्का पलेई तहसील निवाई जिला टोंक मे पोखर पुत्र रामरतन के रिकार्डेड हिस्से मे प्रार्थीगण को शामिल करते हुए प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर, रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा निर्णयानुसार कार्यवाही कर, पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 27/1/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसौलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई